प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01—11—2021

"माह अक्टूबर" में विशेष अभियान चलाकर सहारनपुर पुलिस ने अपराधियों की तोड़ी कमर, विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे 198 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेलः—

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों को अवैध शराब, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, हत्या, लूट, चोरी आदि अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्व एक विशेष अभियान चलाकर उनकी धरपकड़ करने हेतु दिशा—निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में जनपद पुलिस द्वारा **माह अक्टूबर** में विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे **कुल 198** अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जिनका विवरण निम्नवत् हैः—

- **अवैध शराब/कच्ची शराब बनाने वाले कुल 34 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 129 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण/भट्टी, 98 अवैध देशी/अंग्रेजी शराब की बोतल व 698 पव्वे देशी/अंग्रेजी शराब बरामद।**

- **31 दिनों में नशे का कारोबार करने वाले कुल 57 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 08 किलो 555 ग्राम चरस, 14 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त चूर्ण, 888 ग्राम स्मैक व 630 नशीली गोलियां बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।**

- **अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले कुल 62 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 अवैध तमंचे तथा 43 नाजायज चाकू बरामद किये गये।**

- **हत्या की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये घटना में शामिल रहे 05 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।**

- **लूट की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करने हेतु 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से लूट का सामान बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।**

- **चोरी की 16 घटनाओं का अनावरण करते हुये 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया तथा गोकशी के अपराध में 07 अभियोग पंजीकृत करते हुये 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।**

- **माह सितम्बर में थाना स्तर एवं मॉनेटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते 02 अभियुक्तों को कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने सजा सुनवाई गई।**

इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा "माह अक्टूबर" में विभिन्न अपराधो में संलिप्त रहे कुल 198 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेशों के क्रम में उक्त अभियान को आगे भी जारी रखते हुये अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी सुनिश्चित् की जायेगी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01–11–2021

अवगत कराना है कि **दिनांक 02.11.2021** को धनतेरश पर्व मनाया जायेगा। अतः इस अवसर पर बाजारों/मार्गों पर अधिक भीड–भाड होने के दृष्टिगत भारी तथा हल्के वाहनों के डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। जो **दिनांक 02.11.2021 को प्रातः 08:00 बजे से अग्रिम आदेश** तक प्रभावी रहेगा। सम्बन्धित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्र मे प्रत्येक डायवर्जन वाले स्थान पर पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त कर डायवर्जन को कडाई से लागू करायेगें। प्रभारी यातायात को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात कर्मियेां को नियुक्त कर समय से निम्नलिखित यातायात डायवर्जन की व्यवस्था करेंगें।

1. थाना प्रभारी गागलहेडी बाईपास कट से शहर प्रवेश मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगाकर डायवर्जन का अनुपालन करायेंगे, कि समस्त प्रकार के वाहन **(ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली आदि)** जिन्हे यमुनानगर/अम्बाला की ओर जाना है, उन्हे बाईपास पर संचालित करायेंगे।

2. थाना प्रभारी सरसावा, बाईपास से शहर प्रवेश मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगाकर डायवर्जन का अनुपालन करायेंगे कि समस्त प्रकार के वाहन **(ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली आदि)** जिन्हे देहरादून की ओर जाना है, उन्हे बाईपास से ही संचालित करायेंगे।

3. थाना प्रभारी रामपुर मनिहारान चुन्हेटी बाईपास सर्विस रोड पर पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगाकर डायजर्वन का अनुपालन करायेंगे कि किसी भी प्रकार का भारी वाहन **(ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली आदि)** जिन्हे देहरादून/अम्बाला की ओर जाना है, उन्हे बाईपास से ही संचालित करायेंगे।

4. थाना प्रभारी नागल लाखनोर बाईपास सर्विस रोड पर पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगाकर डायवर्जन का अनुपालन करायेंगे कि समस्त प्रकार के वाहन **(ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली आदि)** जिन्हे देहरादून/अम्बाला की ओर जाना है, उन्हे लाखनोर से बाईपास पर ही संचालित करायेंगे।

6. थाना प्रभारी कोतवाली देहात चौकी शेखपुरा कदीम/रामनगर पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली आदि) शहर मे प्रवेश न करने दिया जाये।

7. थाना प्रभारी कुतुबशेर मानकमऊ चौकी पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली आदि) शहर मे प्रवेश न करने दिया जाये।

8. सम्बन्धित थाना प्रभाारी यह सुनिश्चित करेगें कि बेहट रेाड, देहरादून रोड, टपरी रोड, बडगांव रेाड, दिल्ली रोड, अम्बाला रेाड एंव चिलकाना रोड से नगर क्षेत्र की ओर किसी भी प्रकार का भारी वाहन (ट्रक/ट्रेक्टर ट्राली) आदि को निर्धारित अवधि मे नही आने दिया जायेगा।

9. प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी राकेश कैमिकल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का भारी वाहन शहर मे ना आने दिया जाये, इन वाहनों को ट्रान्सपोर्ट नगर में भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

10. घंटाघर चौक से नेहरू मार्किट की ओर चार पहिया कार इत्यादि के लिये प्रतिबन्धित रहेगा।
11. पुल जोगियान से श्रीराम चौक की ओर चार पहिया कार इत्यादि के लिये प्रतिबन्धित रहेगा।
12. मछली पुल से चौकी सराय की ओर चार पहिया कार इत्यादि के लिये प्रतिबन्धित रहेगा।
13. सब्जी मण्डी पुल से जामा मस्जिद की ओर चार पहिया कार इत्यादि के लिये प्रतिबन्धित रहेगा।
14. दाल मण्डी पुल से सर्राफा बाजार की ओर चार पहिया कार इत्यादि के लिये प्रतिबन्धित रहेगा।
15. भगत सिंह चौक से मोरगंज बाजार की ओर चार पहिया कार इत्यादि के लिये प्रतिबन्धित रहेगा।
16. नवाबगंज चौक से दालमण्डी पुल की ओर चार पहिया कार इत्यादि के लिये प्रतिबन्धित रहेगा।
17. अम्बाला रोड से लुहानी सराय की ओर चार पहिया कार इत्यादि के लिये प्रतिबन्धित रहेगा।

प्रेस नोट थाना नानौता जिला सहारनपुर

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा दिये गये चैकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति के अभियान के दौरान आज दिनांक 01.11.2021 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के पर्यवेक्षण मे थाना नानौता पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर दौराने चैकिग अभियुक्त वाजिद पुत्र इरशाद निवासी मौ0 आर्यनगर जलालाबाद जनपद शामली को समय करीब 08.15 बजे इस्लाम नगर पुलिया से ग्राम ढाकादेई की तरफ से गिरफ्तार किया गया। जिसकी जामा तलाशी से 2 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त चूरण बरामद किया गया। अभि0 के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता

1.वाजिद पुत्र इरशाद निवासी मौ0 आर्य नगर जलालाबाद जिला शामली

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 83/16 धारा 379,411 भादवि थाना नानौता
मु0अ0सं0 37/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थाना भवन शामली
मु0अ0सं0 132/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता
मु0अ0सं0 132/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता
मु0अ0सं0 297/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता

बरामदगी का विवरण

- 2 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त चूर्ण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

- ❖सोवीर नागर थानाध्यक्ष थाना नानौता
- ❖उ0नि0 श्री अनिल कुमार
- ❖का0 1660 सुशील कुमार

<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर</u>

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेश के अनक्रुम मे पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एव सहायक पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम महोदया के निकट पर्यवेक्षण मे अपराधियो के विरूद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुतबुशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 356/21 धारा 376/420/452/406/506 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के वांछित अभियुक्त सोनू उर्फ कमल पुत्र मिठ्ठनलाल गुप्ता निवासी ग्राम ढकरानी थाना विकास नगर जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) को दिनांक 31.10.2021 को मौहल्ला मदनपुरी कालोनी थाना कोतवाली मण्डी से गिरफ्तार किया गया है।

<u>नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्तगण</u>–

सोनू उर्फ कमल पुत्र मिठ्ठनलाल गुप्ता निवासी ग्राम ढकरानी थाना विकास नगर जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड)

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः</u>-

1. उ0नि0 नरेन्द्र तोमर
2. का0 295 विकेश तोमर
3. का0 1645 अभिषेक कुमार

प्रेस नोट दिनांक 01–11–2021

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा चरस सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 31–10–2021 को थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा द्रोणाचार्य अस्पताल मोड़ से अभि0 1–इस्तकार पुत्र यामीन निवासी किशनगढ कालोनी थाना बिहारीगढ, सहारनपुर 2–अनुज पुत्र सतपाल निवासी शेखपुरा तुर्क थाना नगीना, बिजनौर 3–रियाजुल पुत्र शकील निवासी सुन्दरपुर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर को 450 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 198,199,200/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चरस सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 31–10–2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा स्पोर्ट कालेज के पास जंगल ग्राम खुशहालपुर से अभि0 1–मुकर्रम पुत्र अब्बास 2–हाकम पुत्र अब्बास 3–इरशाद पुत्र नवाब निवासीगण महमदपुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर, सहारनपुर को 600 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 288/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 31–10–2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा ग्राम अलीपुरा से अभि0 आशु पुत्र गफ्फूर निवासी हाजीपुरा थाना गंगोह, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 525/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा अवैध शराब/नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 31–10–2021 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा राकेश सिनेमा के पास से अभि0 1–नदीम पुत्र जहांगीर निवासी लिंक रोड़ गली नं0–2 थाना को0नगर, सहारनपुर को 48 पव्वे अंग्रेजी शराब व 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना 249/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व मु0अ0सं0 250/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 31–10–2021 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा जुबली पार्क के पास से अभि0 1–इमरान पुत्र इस्लाम निवासी मन्दिर वाली गली खान आलमपुर थाना जनकपुरी, सहारनपुर 2–राशिद पुत्र फजल निवासी नदीम कालोनी थाना कु0शेर, सहारनपुर 3–अनस पुत्र तलीम निवासी दाउद सराय थाना कु0शेर, सहारनपुर को 87 पव्वे अंग्रेजी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर पर मु0अ0सं0 251,252,253/21 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना कु0शेर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–

दिनांक 31–10–2021 को थाना कु0शेर पुलिस द्वारा शमशान घाट अम्बाला रोड़ से अभि0 जबरुद्दीन पुत्र अख्तर निवासी अमन बिहार रसीदिया मस्जिद मानकमऊ थाना कु0शेर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कु0शेर पर मु0अ0सं0 385/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीड़िया सेल
जनपद सहारनपुर।